मुंसिफ न्यायालय गोगरी
आदेश
T. S. 13/ 2016

18.10.2019 उभय पक्षों की ओर से हाजरी है। वादी की ओर से दिनांक 18.10.2019 को आदेश 22 नियम 3 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत आवेदन दाखिल किया गया है जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादी की ओर से दाखिल नहीं किया गया है। वाद का पुकार किया गया। पुकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए । उभय पक्षों को बारी बारी से पूर्ण रूपेण सुना। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दाखिल आवेदन पर अनापत्ति दर्ज किए हैं।

आवेदक वादी की ओर से दाखिल आवेदन में आवेदक ने कथन किया है कि वादी सं0 02 अशोक मंडल की मृत्यु 07.08.2019 को हो गई है वे अपने पीछे पत्नी सहित अन्य विधिक वारिसानों को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इसलिए उनका नाम वाद पत्र से विलोपित कर उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसान (2) पिंकी देवी पत्नी स्व0 अशोक मंडल (2ए) मिथुन कुमार पिता स्व0 अशोक मंडल (2बी) सिथुन कुमार पिता स्व0 अशोक मंडल अवयस्क (2सी) गुजो कुमार पिता स्व0 अशोक मंडल अवयस्क (2डी) अमित कुमार पिता स्व0 अशोक मंडल अवयस्क (2ई) सुमित कुमार पिता स्व0 अशोक मंडल अवयस्क का नाम प्रतिस्थापित किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन समय सीमा के अन्दर है तथा शपथपत्र से समर्थित है इसलिए वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 18.10.2019 को स्वीकार किया जाता है तथा वादी को निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अशोक मंडल का नाम वाद पत्र से विलोपित कर उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें। वाद दिनांक 13.11.19 वास्ते अग्रिम किया।

लेखापित

मुंसिफ